मगध विश्वविद्यालय, बोध-गया

पत्रांक 159/GIIIB/17 दिनांक 21/8/2017

संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों के शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि के संबंध में सत्र 2017–18 के लिए आवश्यक सूचना

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में किये गये प्रावधान के तहत् संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों की शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव सम्पन्न करने हेतु कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य सहायक निर्वाचन पदाधिकारी होगें। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अपने महाविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की देखरेख में तथा उनसे सलाह प्राप्त कर सभी कार्यक्रम सम्पन्न करायेगें।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या – 14066/12 में पारित आदेश के आलोक में प्रभारी प्राचार्य/सहायक निर्वाचन पदाधिकारी उन्हीं शिक्षक को निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करेगें, जिन शिक्षकों की नियुक्ति स्वीकृत पदो के विरुद्ध विधिवत रुप से हुई हो तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित अर्हता रखते हों। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के बिना निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि शासी निकाय की बैठक में भाग नहीं लेगें। इसे प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाचार्य सुनिश्चित करेगें।

शासी निकाय के सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि का सत्र 2017–18 के लिए चुनाव कार्यक्रम

क्र. सं.	चुनाव कार्यक्रम	तिथि
1.	संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षक निर्वाचन नामावली प्रारुप के प्रकाशन की तिथि	24/08/2017 गुरुवार
2.	निर्वाचक नामावली प्रारुप पर आपत्ति देने नाम जोडने एवं संशोधन करने के लिए प्रमाण सहित दावा कॉलेज/विश्वविद्यालय में जमा करने की तिथि	28/08/2017 सोमवार
3.	महाविद्यालय द्वारा निर्वाचन नामावली विश्वविद्यालय में भेजने की तिथि	31/08/2017 गुरुवार
4.	महाविद्यालय में अन्तिम निर्वाचन नामावली प्रकाशित करने की तिथि	04/09/2017 सोमवार
5.	निर्वाचन हेतु मनोनयन पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि	07/09/2017 गुरुवार
6.	निर्वाचन हेतु मनोनयन पत्र जाँच की अन्तिम तिथि	11/09/2017 सोमवार

21/8/17

7.	मनोनयन पत्र वापसी की अन्तिम तिथि (02.30 बजे तक)	14/09/2017 गुरुवार
8.	महाविद्यालय द्वारा वैध मनोनयन उम्मीदवारों का प्रकाशन (03.40 बजे तक)	16/09/2017 शनिवार
9.	जहाँ आवश्यक हो उस महाविद्यालय के प्रागंण में चुनाव की तिथि (08.00 बजे से 02.30 बजे तक)	19/09/2017 मंगलवार
10.	मतगणना की तिथि (04.00 बजे अप्राह्ण)	19/09/2017 मंगलवार
11.	चयनित उम्मीदवारों का नाम विश्वविद्यालय में भेजने की तिथि	20/09/2017 बुधवार

प्रधानाचार्य/प्रभारी प्राचार्य से अनुरोध है कि शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव परिणाम के प्रति के साथ संबंधित महाविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का एक प्रमाण पत्र इस आशय के साथ संलग्न करेंगे कि चुनाव की सारी प्रक्रिया उनके सहमति एवं देखरेख में सम्पन्न हुई है। इसके साथ–साथ चुनाव के सारी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराकर एक सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

माननीय कुलपति के आदेशानुसार

ह0/–
कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय बोधगया।

ज्ञापांक 159/UMB/17 *दिनांक* 21/8/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारितः –

1. सभी प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया आप सवो से अनुरोध है कि आप अपने–अपने महाविद्यालय में उपर्युक्त वर्णित तिथि को चुनाव सम्पन्न कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें, क्योंकि राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 64/GS(I), दिनांक 29/01/2013 के द्वारा सभी महाविद्यालयों में शासी निकाय का गठन किया जाना अनिर्वाय है। यदि किसी महाविद्यालय में चुनाव सम्पन्न नहीं कराया जाता है तो यह समझा जाएगा कि आप विश्वविद्यालय के कार्यो में सहयोग नहीं कर रहे है। चुनाव कार्य में सहयोग नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

21.08.17

कुलसचिव
मगध विश्वविद्यालय बोधगया।

21/08/17